न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु. नं. 35/2025 राजस्व अपील उनवान कन्हैयालाल व अन्य बनाम कन्हैयालाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.01.2026	अधिवक्ता अपीलांट्स उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 एवं धारा 151 सीपीसी पर उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराते हुए निवेदन किया गया है कि अपीलान्ट्स द्वारा तहसीलदार बसवा के आदेश दिनांक 23.10.2007 के विरूद्ध अपील पेश की गयी है। उक्त आदेश दिनांक 23.10.2007 के विरूद्ध पूर्व में इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 238/2007 उनवानी हीरालाल व अन्य बनाम रामजीलाल व अन्य अपील पेश की गयी थी। जिसका निर्णय दिनांक 07.03.2008 को किया जाकर अपील निरस्त की जा चुकी है। तहसीलदार बसवा के आदेश दिनांक 23.10.2007 के विरूद्ध पुनः अपील अपीलान्ट्स कन्हैयालाल पुत्र राजू, रामकरण पुत्र मोती, रघुवीर पुत्र रामरतन, रामराज पुत्र रामरतन, सीताराम पुत्र हीरालाल, मुकेश पुत्र हीरालाल, हंसो पुत्री हीरालाल जाति गुर्जर निवासी बगडेडा, तहसील बांदीकुई द्वारा पेश की गयी है। अपीलान्ट्स द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपील के निरस्त हो जाने के उपरांत भी प्रार्थी को परेशान करने के नीयत से पुनः उसी निर्णय के विरूद्ध अपील पेश कर दी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमावे। अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपील एवं इसके निर्णय के संबंध में जानकारी नही होना अवगत कराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार बसवा के आदेश दिनांक 23.10.2007 के विरूद्ध पूर्व में इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 238/2007 अपील उनवानी हीरालाल व अन्य बनाम रामजीलाल व अन्य अपील पेश की गयी थी। जिसका निर्णय दिनांक 07.03.2008 को किया जाकर अपील निरस्त की जा चुकी है। अपीलांट्स द्वारा पुनः उक्त आदेश दिनांक 23.10.2007 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील पेश की गयी है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 पूर्व में सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णित मामले को दोबारा उसी न्यायालय में न उठाने का प्रावधान करती है। अतः अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 स्वीकार किया जाकर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे। 7/1/2026 (अरविन्द शर्मा) अति. जिला कलक्टर,दौसा	

Scanned with OKEN Scanner